राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :–2772/2025

महेश मोतीरमानी **–अपीलार्थी**

बनाम

1. शासन सचिव, स्कूल शिक्षा, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, बीकानेर।
3. जिला शिक्षा अधिकारी, मुख्यालय, माध्यमिक शिक्षा, कोटा।
4. श्री नदीम इकबाल खान, प्रशासनिक अधिकारी, डाईट, कोटा।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 12.05.2025
आदेश की दिनांक : 03.06.2025
उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्री सुरेन्द्र सिंह/धीरज गुप्ता, अधिवक्ता

समक्ष :– चेतन राम देवड़ा, सदस्य
लेखराज तोसावड़ा, सदस्य

आदेश

1. मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा 4ए के उपबन्ध में शिथिलिता प्रदान करते हुए उक्त अपील की सुनवाई की गई।
2. अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया है कि अपीलार्थी वर्तमान में प्रशासनिक अधिकारी के पद पर डाईट, कोटा में कार्यरत है। प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 24.01.2025 (अनुलग्नक–3) के द्वारा विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक दिनांक 20.01.2025 की अभिशंषा पर वर्ष 2024–2025 की रिक्ति के विरूद्ध अपीलार्थी को प्रशासनिक अधिकारी के पद पदोन्नति प्रदान की गई। प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 30.03.2025 (अनुलग्नक–1) के द्वारा अपीलार्थी को वर्तमान पदस्थापित स्थान से जिला शिक्षा अधिकारी, मुख्यालय, माध्यमिक शिक्षा, जिला चित्तौड़गढ़ में 250 कि.मी. दूर स्थानान्तरित किया गया। उनका आगे कथन है अपीलार्थी तलाकशुदा एवं **कैंसर** के रोग से पीड़ित है। जिनका ईलाज एस.बी.एस. चिकित्सालय, कोटा में चल रहा है (अनुलग्नक–5 एवं 6)। उनका कथन है कि प्रत्यर्थी विभाग को यह जानकारी थी कि अपीलार्थी तलाकशुदा एवं कैंसर जैसे असाध्य रोग से पीड़ित है उसके बावजूद भी अपीलार्थी का स्थानान्तरण किया गया है, जो अनुचित एवं विधि–विरूद्ध है। वस 8अपीलार्थी जहां पर कार्यरत था, वहां पर पद रिक्त था व उस पद पर कोटा में ही पदस्थापित निजी प्रत्यर्थी संख्या 4 को कोटा से डाईट

कोटा में अपीलार्थी के स्थान पर लगाया गया है। इसके अतिरिक्त भी कोटा में अन्य पद रिक्त थे लेकिन उन पदों पर अन्य कर्मचारियों को कोटा से कोटा में ही पदस्थापन किया गया। क्रम संख्या 182 पर सुरेन्द्र कुमार चतुर्वेदी को कोटा में लगाया गया। क्रम संख्या 379, 395, 418, 419, 533 संदीप मेहरा, 607 भवानी शंकर को कोटा में लगाया गया। इसके अतिरिक्त भी प्रत्यर्थी विभाग द्वारा पदस्थापन आदेश पारित करने के पश्चात् भी आदेशों में संशोधन किया गया जबकि अपीलार्थी ने प्रतिवेदन दिये लेकिन उस पर कोई कार्यवाही नहीं की गई। माननीय उच्च न्यायालय एवं माननीय अधिकरण ने भी कैंसर रोग से पीड़ित कर्मचारी के उसके उपचार स्थल से अधिक दूरी पर किये गये पदस्थापन/स्थानान्तरण को अनुचित व अवैध माना है। अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार फरमाई जाकर प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 30.03.2025 को अपीलार्थी की सीमा तक अपास्त फरमाया जावे एवं प्रत्यर्थी विभाग को निर्देशित करे कि अपीलार्थी को प्रशासनिक अधिकारी के पद पर डाईट, कोटा में निरन्तर कार्य करने दिया जावे।

3. हमनें अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता की बहस सुनी तथा पत्रावली पर उपलब्ध तमाम अभिलेख का अनुशीलन कर मनन किया।
4. अतः उपरोक्त तथ्यों को देखते हुए हस्तगत अपील में न्यायाहित में अपीलार्थी को निर्देश दिये जाते हैं कि वे अपने सक्षम अधिकारी के समक्ष एक अभ्यावेदन इस आदेश की दिनांक से 2 सप्ताह में प्रस्तुत करें तथा प्रत्यर्थी विभाग को यह निर्देश दिया जाता है कि अपीलार्थी के द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन को प्राप्त होने की दिनांक से 4 सप्ताह में अभ्यावेदन पर आख्यात्मक आदेश पारित कर अपीलार्थी को सूचित करें। प्रत्यर्थी विभाग द्वारा उक्त अभ्यावेदन का निस्तारण नहीं किये जाने तक अपीलार्थी के सम्बन्ध में पारित आलोच्य आदेश दिनांक 30.03.2025 (अनुलग्नक–1) का क्रियान्वयन (Operation) अपीलार्थी की सीमा तक स्थगित रहेगा एवं साथ ही यह स्पष्ट किया जाता है कि अपीलार्थी को वहीं कार्यरत रखा जावें जहां वह चुनौती आदेश पारित किये जाने से पूर्व कार्यरत था।
5. यहां यह स्पष्ट किया जाता है कि उक्त निर्देशों की पालना अपीलार्थी द्वारा नहीं किये जाने पर यह स्थगन आदेश स्वतः ही निष्प्रभावी हो जावेगा।
6. अतः उक्त अपील, मय स्थगन प्रार्थना पत्र, ग्राह्यता के प्रक्रम पर ही उपर्युक्त निर्देश के साथ अन्तिम रूप से निस्तारित की जाती है।

(लेखराज तोसावड़ा)
सदस्य

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य